

**अधिसूचना संख्या 182/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1969(ई),
दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1370 (ई) दिनांक 14.6.2011 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 23 पर, "संत बाबा भाग सिंह मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी, डेरा संत पुरा, पोस्ट ऑफिस मानको, जिला जालंधर, पंजाब 144106" द्वारा "संत बाबा भाग सिंह ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली" को एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन साल की अवधि के लिए 3495 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "संत बाबा भाग सिंह ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "संत बाबा भाग सिंह मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी, डेरा संत पुरा, पीओ मांको, जिला जालंधर, पंजाब- 144106" द्वारा 3495 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना किसी बदलाव के वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित किया जाता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

■ ■